फर्द अहकाम

(नियम 26)

अज अदालत : अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) श्री गंगानगर

नेतराम बनाम बृजलाल वगैरा

अपील इंतकाल प्रकरण सं0 82 /15

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनीशियल जज	नम्बर व तारीख
4.12.15	अपीलांट के अधिवक्ता उपस्थित। अपील बाद रिपोर्ट पेश हुई। रिपोर्ट का अवलोकन किया गया। अपील में मियाद के बिन्दू पर निर्णय को सुरक्षित रखते हुए अपील दर्ज रजिस्टर किए जाने के आदेश दिये जाते हैं। रेस्पोडेन्टस को जरिये सम्मन तलब किया जावे एवं अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 28–12–15 को पेश हो।	N.J. 2953-54 4.12.15
28.12.16	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ....×.......... है। पत्रावली दिनांक 14.1.16 को पेश हो।	
14.01.16	अपीलांट के अधिवक्ता उप0। रेस्पो0 को जारी सम्मन बाद/अदम तामील - अप्राप्त। पुनः जारी हो। अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 29.01.16 को पेश हो।	N.J. 14.01.16
29.01.16	अपीलांट के Adv. उप0। रेस्पो. को जारी सम्मन - अदम तामील प्राप्त। रेस्पो0 संख्या 01 व 2 की ओर से श्री तेजा सिंह Adv. ने वकालतनामा पेश किया - शा0 सिमस हो। रेस्पो. संख्या 03 की ओर से G.A. उप0। रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 18.02.16 को पेश हो।	
18.02.16	अभिभाषक उभयपक्ष उप0। रिकॉर्ड तलब करें। पत्रावली दिनांक 18.03.16 को पेश हो।	418 18.02.16
18.03.16	बार संघ के द्वारा कार्य स्थगित करने के कारण आज अभिभाषक उपस्थित नहीं आ रहे हैं। पीठासीन अधिकारी ....—....... है। पत्रावली दिनांक 22.04.16 को पेश हो।	

Scanned by CamScanner

23/11/17

अभिभाषक उभयपक्ष उपस्थित। बहस हेतु समय चाहा गया, जो दिया गया। पत्रावली वास्ते बहस दिनांक 13/12/17 को पेश हो।

[signature]

13.12.17 पत्रावली पेश हुई। वकील रेस्पोंडेंट उपस्थित। अपीलार्थी या उनके वकील अनुपस्थित।

वकील रेस्पोंडेंट की अपील के ग्राह्य होने के बिंदु पर एतराजात सुने गए। वकील रेस्पोंडेंट का प्रथम एतराज है कि अपील मीमो के साथ अधीनस्थ न्यायालय के जिस निर्णय/आदेश के विरुद्ध अपील की गई है उसकी प्रमाणित प्रति संलग्न नहीं है जबकि राजस्थान रेवेन्यू कोर्ट मैन्युअल के प्रावधानानुसार इसका होना आवश्यक है। वकील रेस्पोंडेंट का दूसरा एतराज यह है कि मूल अपील वकील ... मीमो में नामांतकरण नं० 57 के विरुद्ध अपील दायर करना बताया है उसमें बाद में संशोधन हेतु जो अपीलार्थी ने दि. 8/3/17 को पेश किया उसमें नामांतकरण सं० 247 दर्ज करने के आदेश के लिए निवेदन किया है परन्तु नामांतकरण सं० 247 की अपील का निस्तारण इस न्यायालय द्वारा दिनांक 6-11-15 को किया जा चुका है लिहाजा इसकी पुनः अपील इस न्यायालय में नहीं की जा सकती। वकील रेस्पोंडेंट के उक्त दोनों एतराजात पत्रावली के अवलोकन एवं उपलब्ध रिकॉर्ड के आलोक में सही दिखते हैं।

पत्रावली का अभिलेख सहित अवलोकन किया। नामांतकरण सं० 247 (दि. 31-5-11) की अपील सं० 50/14 ... बनाम ... न्यायालय हाजा द्वारा अनवार ... एवं अन्य में दिनांक 6-11-15 को निर्णीत की गई। इस निर्णय की सत्यप्रति अपीलार्थी पेश करना पाई गई। इस निर्णय की ... वकील रेस्पोंडेंट की ओर से ... नहीं हुई। वकील रेस्पोंडेंट ... बनाम ... RRD 1997 Page 814 ... एवं अन्य बनाम ... के आलोक में अपील प्रस्तुति के लिए आवश्यक दस्तावेजात के अभाव में अपील मेंटेनेबल नहीं है लिहाजा इसे ग्राह्य नहीं किया जा सकता। नामां० सं० 247 के संबंध में निर्णय पूर्व में हो चुका है परन्तु ... अपील में पक्षकार पूर्व के समान नहीं है और इसलिए इनका अपील का अधिकार सुरक्षित रखते हुए यह अपील को मेंटेनेबल नहीं होने के कारण इसी स्टेज पर खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नियमानुसार ... निर्णय खुले इजलास सुनाया गया।

[signature]

अति. जिला कलक्टर (...)
...